न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री अनुराग भार्गव आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 153/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/झालावाड
दायरा दिनांक 9.9.2020
किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. रामबिलास आ0 कंवर लाल जाति मीना
2. श्रीमती पुष्पा बाई पत्नी रामबिलास जाति मीना
   निवासीगण आतरवाडा हाल खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड़।

..... अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सारोला कलां जिला झालावाड़

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र सिंह राजावत अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

दिनांक 25.11.2021

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड़ (संक्षिप्त मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नम्बर 53/2019 अपील बउनवान रामबिलास वगै. बनाम राज0 सरकार जरिये नायब तहसीलदार सारोला कंला जिला झालावाड मे पारित निर्णय दिनांक 26.02.2020 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि ग्राम आतरवाडा की ख0 नं0 229 रकबा 2 बीघा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल अलसी बोई जाने के फलस्वरूप नायब तहसीलदार सारोला कलां द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अपीलार्थी को नोटिस जारी कर प्रकरण मे दिनांक 22.11.2019 को निर्णय पारित कर लगान का 50 गुना तावान राशि 296/– रू0 कायम की गई। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर नायब तहसीलदार सारोलाकंला का निर्णय दिनांक 22.11.2019 निरस्त किया गया तथा प्रकरण नायब तहसीलदार सारोलाकंला को पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी की साक्ष्य ली जाकर तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब का पूर्ण विवेचन करते हुये पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रति प्रेषित

किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने बयान/शहादत लिये बिना व मौका मुआयना किये बिना मात्र पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि अपीलांट न. 2 को उक्त भूमि वन विकास हेतु ग्राम पंचायत द्वारा पेड पौधे लगाने की स्वीकृति दी हुई है। जिसके तहत पेड पौधे लगाये हुये है अपीलांट ने कोई फसल पैदा नही की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे कोई स्वतंत्र साक्ष्य नही ली गई केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट को आधार बनाया गया। परीक्षण न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अपना माइंड एप्लाई नही किया। निर्णय के प्रिन्टेड प्रफोर्मा को भर कर निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत अपील प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि उक्त वर्णित आराजी अपीलांट कम 2 को वन विकास हेतु ग्राम पंचायत द्वारा दी गई थी जिसके तहत पेड पौधे लगा रखे है उक्त भूमि पर अपीलांट द्वारा कोई फसल पैदा नही गई। ऐसी स्थिति मे अपीलांट के विरूद्ध नायब तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी उक्त तथ्य पर गौर नही किया। प्रकरण मे कोई स्वतंत्र साक्ष्य नही है, मौका रिपोर्ट भी नही ली गई मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर हरदो अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अन्त मे अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस मे भूमि चारागाह होने से अपीलांट को उक्त भूमि पर किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। पटवारी रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि अपीलांट ने सवंत् 2076 मे उक्त भूमि पर रबी मे अलसी की फसल बोकर अतिक्रमण किया है। चारागाह भूमि पर निजी वन विकास हेतु किसी व्यक्ति को भूमि देने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है। अतः अपील आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम आतरवाडा की ख0 नं0 229 रकबा 2 बीघा भूमि चरागाह भूमि है। नायब तहसीलदार सारोलाकंला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2019 से अपीलांट के विरूद्ध उक्त वर्णित भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप 296/– शास्ति अधिरोपित की गई है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश की गई जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2019 मे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नही करने तथा अपीलांट के जवाब को कंसीडर अथवा खारिज नही कर छपे छपाये प्रपत्र मे विरोधाभासी तथ्यो युक्त पारित निर्णय कानूनन उचित नही होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर नायब तहसीलदार

सारोलाकंला का निर्णय दिनांक 22.11.2019 निरस्त कर प्रकरण नायब तहसीलदार सारोलाकंला को पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी की साक्ष्य ली जाकर तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब का पूर्ण विवेचन करते हुये पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रति प्रेषित किया गया है। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि उक्त वर्णित भूमि चारागाह भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि उसको उक्त वर्णित भूमि वन विकास हेतु पेड पौधे लगाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा दी गई थी जिसके आधार पर वह काबिज है। ग्राम पंचायत को चारागाह भूमि को किसी व्यक्ति को पेड पौधे लगाने हेतु दिये जाने की कानूनन कोई अधिकारिता नही है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का कोई कानूनी, ठोस आधार हमारे समक्ष पत्रावली मे उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अनुराग भार्गव)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा